निर्णय बईजलास डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

तारिख दायरा: 04.01.2022

मि0न0 01 / अपील / 22

कालूराम राठोर आ0 रमेश चन्द राठोर जाति तेली,उम्र 44 वर्ष नि0पचपहाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड (रेस्पो0)

अपील बनाराजगी फैसला तहसीलदार पचपहाड दिनांक 16.12.2021 मिसल न0 07 / 21

उपस्थित:– श्री विजय कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

दिनांक: 15.02.2022

–: निर्णय :–

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार तहसील पचपहाड़ के आदेश दिनांक 16.12.2021 जो मिसल न0 07 / 21 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम पचपहाड की आराजी ख0न0 380 कुल रकबा 0.3035 में से 0.0100 भाग जो मंदिर माफी की भूमि है पर नीवं कुर्सी भर कर टीन शेड लगाकर अतिक्रमी मानकर बेदखली आदेश से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। वादग्रस्त आराजी मंदिर माफी की है राजकीय नही है,मूर्ती शाश्वत नाबालिग होती है, अतिक्रमण हटाने का खातेदार या संरक्षक को अधिकार होता है,राज्य सरकार कार्यवाही नही कर सकती है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी मंदिर की मरम्मत हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर खातेदार से लीज पर ली गई है। कार्यवाही कानून के विरूद्ध सम्पादित की गई है। निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली सग्रहसार के विरूद्ध होन से निरस्त योग्य है। वादग्रस्त आराजी मंदिर माफी की है राजकीय नही है,मूर्ती शाश्वत नाबालिग होती है, अतिक्रमण हटाने का खातेदार या संरक्षक को अधिकार होता है,राज्य सरकार कार्यवाही नही कर सकती है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी मंदिर की मरम्मत हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर खातेदार से लीज पर ली गई है। कार्यवाही कानून के विरूद्ध सम्पादित की गई है। निर्णय अपास्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेंमों में अंकित किया है कि आराजी उनकं द्वारा खातेदार से लीज पर ली गई है। अभिभाषक अपीलान्ट स्वंय यह मानते हैं कि वादग्रस्त आराजी मन्दिर माफी की है व मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। हमारी राय में मंदिर माफी की भूमि पर किसी को भी मालिकाना हक प्राप्त नही होने से की गई लीज डीड का कोई महत्व नही है। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन कि भूमि राजकीय नही होने से कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकार को नही है हमारे विनम मत में स्वीकार नही है, इस बाबत राजस्व विभाग के परिपत्र प.3(2)राज–6 / 2007 / पार्ट / 5 दिनांक: 12.09.2018 में स्पष्ट किया गया है " मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे" उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार तहसील पचपहाड द्वारा पारित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार तहसील पचपहाड का निर्णय यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को मेरें द्वारा टकित कराया जाकर खुले न्यायालय म सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
झालावाड़